राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/232-I/2020-KSP

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी दिनांक 07.09.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री गिरीश राधाकृष्णन, सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी
3. श्री बी. के. पति, उपसचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री ~~सुहेल~~ शाहुल हमीद, जनरल मैनेजर (एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी
5. श्रीमती सत्यवती, डीजीएम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- कार्यवाही शुरु की जाये।

सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- जी, नमस्कार सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether CMD, United India Insurance Company Limited affirms that he has complied all the rules and regulations, code and conduct and Ethics, rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalization of Annual Report of United India Insurance Company Limited and its subsidiaries?

सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Sure?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether CVC has issued instructions for effective and rotational transfer of officials and staff posted in sensitive positions in the year of 1999, 2001, 2008 and 2012 respectively;

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir, We have CVC guidelines. Accordingly, our Transfer & Mobility policy is modified suitably so as to implement CVC guideline in our Company.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether the United India Insurance Company Limited and its subsidiaries have identified the sensitive posts and has been effecting rotational transfer, if so, please give the post-wise identification and transfer of sensitive posts since three years on Affidavit.

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- We have identified sensitive post after discussion with GIPSA (the coordinating body for four Public sector General Insurance Companies) & following are the sensitive posts claim Departments, Estates, Administration and publicity. Accordingly rotational transfers are effected annually along with promotion posting. The details are collected from all our Regions across country.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Details of OBC official working on sensitive post?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Send it.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Please give following reply on affidavit. Whether separate registers/ roster registers shall be maintained for appointments made by direct recruitment and promotion?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir, we have got separate roster and it is being published on company's website also, and all OBC employees and other employees can verify it and it is being certified by CLO and Ministry itself also .

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether in case of promotion, separate registers / roster registers shall be maintained for each mode of promotion viz. limited competitive examination, selection, non-selection, etc.

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- It is there but in Promotion there in no reservation for OBC but in the committee for selection in recruitment we ensure that for OBC category representative is included in the panel.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether a common register / roster register shall be maintained for permanent appointments

and temporary appointments likely to become permanent or to continue indefinitely.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Yes sir, We have roster for permanent appointments, and we maintain them properly. There are no temporary appointments.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> Whether a separate register / roster register shall be maintained for purely temporary appointments of 45 days or more but which have no chance whatever of becoming permanent or continuing indefinitely.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Actually we have no such category of employees, 'temporary employees more than 45 days' who are likely temporary and considered permanent, so we submit nil statement .

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> Whether immediately after an appointment is made, the particulars of the person appointed shall be entered in the register / roster register in the appropriate columns and the entry signed by the appointing authority or by an officer authorized to do so.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Yes sir. We do that and we also get countersigned by CLO and those who are recruited own merit, they are not considered in the reservation.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> Whether the register / roster register shall be maintained in the form of a running account year after year.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Yes Sir

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> Whether in case of cadres where reservation is given by rotation, fresh cycle of roster shall be started after completion of all the points in the roster.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> As per DOPT guideline, rosters are maintained continuously in the form of running account.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> Whether after every recruitment year, an account shall be noted at the end of the last entry of the year

कौशलेन्द्र पटेल

116

in the reservation register indicating representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and details of backlog reserved vacancies etc.

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir. It is there and we would like to submit for your kind information, we have no backlog at all.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Whether United Insurance Company has/had recommended as their nominee-directors on the board of various companies; if so, the details thereof during the last 10 years along with details of nominee-directors belonging to OBCs on the board of various companies?

सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- We are not nominating director to any other company, we do not have holding in any other company.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी में ओबीसी का आरक्षण कब से लागू हूआ।

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Sir, from 08.09.1993 onwards, we are following reservation guidelines for OBC's.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- अभी as on date कितने % एम्प्लाई है आपके यहां क्लास 1 में?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Class 1 as on date 28.86% है। We have class wise data Class 1, 2, 3, 4, total is 31.33%.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Have you calculated this data?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes Sir, We have calculated, based on the total number of OBCs employee every time.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Please calculate this.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Percentage of OBC who are recruited after 08.09.1993 comes totally 31.33%

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> ये 28.86% कैसे हो गया?

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Because Sir, Total Number of Employees recruited is 905 out of 3136.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> क्या ओबीसी को 27% से ज्यादा आरक्षण देते हैं?

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Sir, Some are recruited on their own merit.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> जो लोग Own Merit के अंतर्गत आ रहे है उन्हें ओबीसी की सीटों पर दिखाते है।

<u>सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> Merit we exclude from the purview of reservation sir.

<u>श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-</u> Why are you mentioning 28.66%.

<u>जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:-</u> The number 3136 indicates the total number of officers recruited after 08.09.1993 & now available in Group A – Class 1. The Group A –Class 1 consist of 8 Post/Scale and reservation is available in the lowest post/Scale is Scale 1/ (AO). This post is filled partly by recruitment and partly by promotion. Reservation is available for OBCs in recruitment only. In a recruitment to the lowest rung of Group - A i.e. AO/Scale 1,reservation for OBCs is provided for the total number of vacancies filled sometimes become less than the total declared vacancies .However the vacancies recovered for OBCs gets filled up. Hence, the % of OBC filled up is more Thus the ratio of 905 to 3136 is 28.86%. At present, the percentage of OBC is 27.27% in the lowest rung of class 1. Out of total vacancies, sometimes what happened in general category some candidates do not

join but OBC candidates they join then total OBC representation comes more that is also the another reason.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:-Please calculate, please add 28.86% and 19.72%

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Actually sir we taken 905 candidates joined after 08.09.1993 out of 3136 total so the percentage comes 28.86%.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Please give this page on Affidavit.

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- इसमें जो 28.86% है। इसमें जो 27% कोटे से आये हैं। उनकी संख्या कितनी प्रतिशत है?

डीजीएम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- ये सारे रिजर्वेशन में न्यू ज्वाइन है उनका प्रतिशत है 28.86%.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप लोग 27% आरक्षण देते हैं और यहां दिखा रहे हैं 28.86% लगभग ये 29% है तो ये 27% से ज्यादा कैसे हो जायेगा? इस लिस्ट में ऑन मेरिट पर आने वाले कितने ओबीसी कैंडिडेट हैं? ऑन मेरिट पर सिलेक्ट होने वाले ओबीसी कितने प्रतिशत है?

डीजीएम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- इसमें ऑन मेरिट आने वाले इंक्लूडेड नहीं है सर। ऐसा होता है ओपन रिक्रूटमेंट में कि हम हजार अधिकारियों का रिक्रूटमेंट करते हैं। इसमें unreserved कैटेगरी के जो भी हैं, शायद वो ज्वाइन नहीं करते है और इसमें ओबीसी के कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। तो हजार एम्प्लाईज को रिक्रूटमेंट करते समय शायद जो ज्वाइन किये हैं उसमें 27% ओबीसी रिक्रूटमेंट प्रतिशत है वो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन unreserved में कुछ जवाइन नहीं करते है ये % अधिक हो जाता है।

इसके लिये अलग रोस्टर भी है उसका वेरिफिकेशन भी हुआ है, मिनिस्ट्री ने वेरिफाई भी किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप लोगों से रोस्टर मांगा गया था रोस्टर आप लोगों ने क्यों नहीं दिया?

डीजीएम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- रोस्टर हम भेज देंगे अभी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- रोस्टर भेजिये और उसके रोस्टर के साथ माड्ल रोस्टर भी भेजिये जिस पर मिनिस्ट्री ने आप लोगों को रोस्टर बनाने के लिये कहा है।

डीजीएम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- जी जरूर सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- 08.09.1993, 02.07.1997 और 31.12.1997 का कटऑफ डेट का रोस्टर व 2019-20 का रोस्टर आयोग को भेजिये।

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपके यहां जनरल मैनेजर के कितने पोस्ट है?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- 8 पोस्ट है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- 8 जनरल मैनेजर में ओबीसी कितने है?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Only 1 OBC, SC/ST 1, General 6 category.

कौशलेन्द्र पटेल

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- डीजीएम कितने हैं?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Out of 30, 3 are form OBC, category.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- एजीएम कितने हैं?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- AGM नहीं है we have GM then DGM then Chief Manager.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- चीफ मैनेजर कितने है आप के यहां?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- We have 151 चीफ मैनेजर. Out of that 5 only OBC, 40 from SC, 6 ST, and remaining 100 General Category. The reason is that time, there was no reservation for OBC in recruitment .

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- I know very well. जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्विसेज से जुडे हुए कंपनी है चाहे जितने बैंक हैं वो एक लेवल के बाद ओबीसी को प्रमोशन नहीं देते हैं और इसलिये प्रमोशन नहीं देते है कि हायर मैनेजमेंट में ओबीसी का आदमी ना बैंठे, ये एक अघोषित पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी को आप लोग भी अडोप्ट कर रहे हैं इस लिये मैने पूछा है। वो तो एससी एसटी में रिजर्वेशन, कुछ लिमिट तक है। तो आप लोग दे देते है नही तो वो भी ना दे इसीलिये में क्रॉस चैक कर रहा था कि कहीं आप लोग अलग तो नहीं है। लेकिन आप लोग भी ऐसे ही है जैसे सब लोग हैं।

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- But sir, even though there is no reservation in OBC for promotion.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- I know there is no reservation in Promotion OBC. लेकिन जो ऑन मेरिट पर आने वाले लोग हैं या ओबीसी में अच्छे परफार्मेंस वाले लोग है उन लोगों को आप चीफ मैनेजर तक नहीं बनाते है 151 में से 5 लोग चीफ मैनेजर बनने लायक है बस। बाकी जितने ओबीसी है आपके आर्गेनाइजेशन में सब यूजलेस हैं। मैं देख रहा हूँ इसी लिये पूछ रहा हूँ कि कितने है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आप लोगों ने 10बी के रिप्लाई में कहा है कि Yes, Posts are grouped wherever necessary for maintaining rosters. तो ये ग्रुपिंग ऑफ पोस्ट कब कब और कितनी बार किया है इसका डिटेल आयोग को उपलब्ध कराईये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- The company has not made general recruitments since past few years. But, in the earliest recruitments step carried out for pre recruitment Training at metro level through coordination with Associations. In future during recruitment, we would arrange training.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- जो रिप्लाई न. 12 है इसको ऐफिडेविट पर दीजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- जो प्रश्न संख्या 16 का रिप्लाई किया है Presently, we have a scheme for providing contractual appointment of Superannuated Development Officers as Business Associates subject to fulfilling the relevant eligibility conditions. इसका रोस्टर आयोग को उपलब्ध कराईये।

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- For that we have not maintained Roster but actually sir Development Officer who are retiring and full filling the eligibility, they are considered for business associate irrespective of category.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- That is very good लेकिन ये 45 दिन से ऊपर की contractual appointment है न।

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes Sir, One year contact renewable.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Either you provide roster register or if you are maintaining roster. Please give reason why you are not maintain roster for these contractual appointment on Affidavit

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Please tell the rule for appointment of Chief Liaison Officer .

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Chief Liaison Officer we have separately for OBC and SC/ST in the cadre of scale 6 i.e. DGM cadre Sir and preferably we appoint such person who belongs to that category.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- No, What is the rule for appointment of Chief Liaison Officer?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Chief Liaison Officer, as per our guidelines only, the senior executive level we have to nominate an officer and sir we would like to submit for your kind information the United India is the first company, among all other public sector, General Insurance Companies to appoint Chief Liaison Officer exclusively for OBC in 2015-16 Earlier only common CLO was there for SC/ST and OBC. But from 2015-16 we started appointment exclusively Chief Liaison Officer from cadre of DGM. The rule says senior executive level. So, we nominated only DGM cadre.

कौशलेन्द्र पटेल

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- ये जो कंप्लेन्ट मिला था। ये कंप्लेन्ट के क्या नेचर थे 2016-17, 18 में।

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनीः- Actually in 2016 we have received only 02 grievances, we have got General Grievance of employee.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- What was the nature of complaint?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनीः- Nature of complaint mainly, non-promotion, transfer Nothing else sir and we have closed all and we maintained the register also.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- प्रश्न संख्या 19 के उत्तर में सेलेक्शन कमेटी में 2015-16 में मो0 इकबाल, Director of Legal Studies. ओबीसी के सदस्य थे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- इनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराईये, डा. तैनमौजी, लियो फ्रनेंडो, एन. के. बुदान और मो0 सुहैल हामीद इन सभी का ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को उपलब्ध कराईये,

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- आपने चीफ लाईसन ऑफिसर का नाम क्यों नहीं बताया है और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं भेजा?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनीः- ज़ी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः- चीफ लाईसन ऑफिसर आपके ओबीसी कम्युनिटी से है या किस वर्ग से है?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- ओबीसी से हैं, Madam Sathyavathi, DGM, pertaining to OBC category, we will send certificate also.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपके यहां ओबीसी का अलग से सेल है?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Yes sir, we have separate reservation cell functioning, at HO under the supervision of the chief liaison Officer and Liaison officer .The cell has an officer and an Assistant to look after the function relating to reservation .

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- ओबीसी का जो इंटरव्यू होता है वो जनरल कैटेगरी के साथ होता है या अलग होता है?

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- अलग से होता है ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- आपके यहां सब्सिडियरीज कंपनियां कितनी है?

सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- We don't have any subsidiary company. Please see clarificatory note attached.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:- Ok, Thank you.

जी.एम.(एचआर), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी:- Thank you sir.

सुनवाई सम्पन्न ।

(श्री गिरीश राधाकृष्णन)
सीएमडी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/232-I/2020-KSP

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी दिनांक 20.07.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री वाई. के. शिमरे, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी
5. श्री बी. वायगंतम, उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी
6. श्री ईश्वर राम चौधरी, शिकायतकर्ता
7. श्री वी. एन. मागेश कुमार, शिकायतकर्ता
8. महिला शिकायतकर्ता

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा श्री ईश्वर राम चौधरी से अपनी शिकायत बताने के लिये कहा गया जिसके जवाब में श्री चौधरी द्वारा बताया गया कि वह जोधपुर, राजस्थान में नियुक्त है और प्रमोशन होने पर उनका ट्रांसफर जैसलमेर कर दिया गया जबकि मेरे द्वारा कंपनी को लिखित रूप में प्रार्थना की गयी थी कि मेरे पिता कैंसर के मरीज है और उनका ईलाज चल रहा है इस आधार पर मेरा ट्रांसफर मेरे द्वारा दिये गये तीन विकल्पों में कही भी कर दिया जाये ताकि मैं अपने पिता का ईलाज करा सकूं परंतु कंपनी ने तीनों विकल्पों में से किसी पर भी मानवता के आधार पर विचार नहीं किया और मेरा ट्रांसफर जैसलमेर कर दिया गया। इस कारण मैंने जैसलमेर में ज्वाइन नहीं किया और मेरा प्रमोशन रोक दिया गया और मैं अभी जोधपुर में ही नियुक्त हूँ।
2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को मानवीय आधार पर ट्रांसफर नहीं किया गया है और क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) को श्री चौधरी की समस्या की जानकारी नहीं थी जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि श्री चौधरी की समस्या से वह अवगत थे। महाप्रबंधक द्वारा बताया

गया कि इन्होने जो 3 विकल्प दिये थे वहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं थी। आयोग द्वारा उक्त 3 विकल्पों मं कितने अधिकारी नियुक्त है और कितने समय से नियुक्त है उसकी पूरी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में माननवीय आधार पर अब तक कुल कितने ट्रांसफर किये गये है उसकी सूची आयोग को उपलब्ध कराये और अगर किसी के परिवार के सदस्य को कैंसर जैसी घातक बीमारी है तो आपने ऐसे मामलों पर कितने लोगों को ट्रांसफर किया है। उसकी कैटेगरी-वाईज जानकारी शपथ-पत्र पर आयोग को उपलब्ध कराये।

3. माननीय आयोग द्वारा शिकायतकर्ता श्री मागेश कुमार से अपनी शिकायत के बारे में बताने के लिये कहा गया शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि 1 साल पहले उनको सहायक प्रबंधक से उप प्रबंधक के पद पर प्रमोट किया गया है और मुझे चेन्नई से पुदुचेरी ट्रांसफर कर दिया गया जबकि कंपनी की गाइडलाईन के अनुसार मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिये था, मैने पुदुचेरी में ज्वाइन नहीं किया इसलिये मेरा प्रमोशन रोक दिया गया है। उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कियह 20 साल से चैन्नई में ही कार्यरत थे इसलिये इनका प्रमोशन होने पर चैन्नई से पुद्दुचेरी ट्रांसफर कर दिया पर इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया। आयोग द्वारा पुछा गया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ट्रांसफर पॉलिसी क्या है उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि 5 साल में ट्रांसफर कर देते है तो इनको 20 साल तक चैन्नई में क्यों रखा जिसके जवाब में डीजीएम द्वारा बताया गया कि He is procuring a marketing & business इसलिये इनको 20 साल एक स्थान पर रखा गया। आयोग द्वारा पूछा गया तो इनको अब क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसके जवाब में महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि इनको AOD से AMD में प्रमोशन किया गया है तथा AOD और AMD की अलग-अलग गाइडलाइन है Provided that upto a certain promotion they will not be touched now he is promoted from Scale II to III because there is no Deputy Manager (D) so he has to come out.

4. शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि मेरा प्रमोशन Normal Channel में हुआ है। अगर मेरा प्रमोशन Fast track channel में होता तो ही मुझे Outside post कर सकते है। मैंने कई representation भी दिये हैं लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया गया । आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी representation के साथ महाप्रबंधक

(मा.सं.वि.) के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये कहा गया है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उस पर विचार करने के लिये कहा गया।

5. क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड हुआ है? डीजीएम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017 तक का रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड है वर्ष 2018 व 2019 का रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड न होने का कारण आयोग को शपथ-पत्र पर बताया जाये।
6. आयोग द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से महिला शिकायतकर्ता के प्रकरण के बारें में पूछा गया कि जिसमें महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि मैडम ने अपने अधिकारी पर जो आरोप लगाये है उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी लेकिन आरोप prove नहीं हो पाये है। जिस अधिकारी पर आरोप लगाये गये थे उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में Women Sexual Harassment की स्थायी कमेटी बनायी गयी है, जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि हमने Region wise Women Sexual Harassment कमेटी बनायी है आयोग द्वारा पूछा गया कि इनकी कमेटी में कौन कौन सदस्य थे उस कमेटी का आदेश आयोग को दिखाया जाये। आयोग को बताया जाये कि As per Act कमेटी में कौन सदस्य बन सकता है और क्या ये सभी कमेटी में सदस्य बनने के लिये योग्य थे, आयोग को बताया जाये कि कमेटी गठन का अप्रूवल किस अधिकारी द्वारा दिया गया, डीजीएम द्वारा बताया गया कि कमेटी के गठन का अप्रूवल श्री जय कुमार, रीजनल मैनेजर द्वारा दिया गया था। आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या वह Competent Authority थे, जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया जी सर। आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या कमेटी के गठन का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय से अप्रूवल लिया गया था, उसका जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये।
7. आयोग द्वारा पूछा गया कि इन्होने जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है क्या वह इनके ही ऑफिस में कार्यरत थे लेकिन शिकायत के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि वह इनके ऑफिस में ही कार्य करते हैं। जिसके जवाब में महिला शिकायतकर्ता द्वारा बताया

गया कि मेरी शिकायत के तुरंत बाद उनका ट्रांसफर नही किया गया था। जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की उसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया।

8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आपकी शिकायत की दिनांक क्या थी जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्होनें दिनांक 22.05.2020 को शिकायत की थी। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आरोपित अधिकारी का ट्रांसफर कब हुआ जिसके जवाब में बताया गया कि सितम्बर 2020 में उनका ट्रांसफर किया गया।

9. माननीय आयोग को महिला शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि Management ने उन्हें बिना किसी कारण के 110 किमी दूर ट्रांसफर किया है। आयोग द्वारा महिला शिकायतकर्ता को उनकी इच्छानुसार नजदीक के ऑफिस में पोस्टिंग करने पर विचार करने के लिये कहा तथा संबंधित अधिकारी पर उचित कार्यवाही कर आयोग को रिपोर्ट देने के लिये कहा गया।

उपरोक्त सभी जानकारी आयोग को 03 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये।

(श्री वीं. वायगंतम)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी

वाई के शिमरे

(श्री वाई. के. शिमरे)
महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग